



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1341) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-08/2025-5093/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 10, 2025]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (यथासंशोधित) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011)

का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) धारा-11(2) के परंतुक के अलावा शेष राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।
- (4) धारा- 11(2) का परंतुक पूर्वगामी प्रभाव से उस तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा, जिस तिथि से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 प्रवृत्त हुआ है।

2. प्रस्तावना में दो नई कंडिकाओं को जोड़ा जाना।- उक्त अधिनियम की प्रस्तावना की कंडिका-V के पश्चात् नयी कंडिका-V(क) एवं कंडिका-VI के पश्चात् नयी कंडिका-VI(क) जोड़ी जाएगी।

“ V(क) चूंकि, राज्य में नगरपालिका के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकार अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण के लिए बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल सर्वे अधिनियम, 1920 के तहत किए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नहीं किया गया।”

“ VI(क) चूंकि, नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के चालू खतियान (पंजी-1B) खेसरापंजी एवं पंजी-II (जमाबंदी पंजी) जिन्हें अंचल कार्यालयों में अद्यतन रूप से संधारित किया जाना था, तदनुसार संधारित नहीं किए जा सके एवं परिणामस्वरूप समय-समय पर हो रहे अन्तरण, उत्तराधिकार, दाखिल-खारिज आदि उनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते।”

3. धारा-2 की उप-धारा-2 की कंडिका (xxx) के पश्चात् नये शब्दों की परिभाषा को जोड़ा जाना।-

- (xxxi) नगरपालिका-का वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन 'नगरपालिका' का अभिप्रेत है।
- (xxxii) रोवर -से अभिप्रेत है सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार उपग्रह से प्राप्त संकेतों से धरातल के निर्देशांकों को जोड़ते हुए भूमि की मापी करने वाला आधुनिक संयंत्र।
- (xxxiii) जी०एन०एस०एस० (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाईट सिस्टम)- से अभिप्रेत है स्थान विशेष के विशिष्ट निर्देशांकों के आधार पर सटीक भूमिमापी के लिए राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त किया जाने वाला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाईट सिस्टम।
- (xxxiv) सतत् संदर्भ प्रणाली केन्द्र, कोर्स (Continuously Operated Reference Station, CORS)- से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपग्रह से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किसी भी स्थान की सटीकता, समरूपता एवं आँकड़ों के सत्यापन के लिए स्थापित किये गये केन्द्र।

4. अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा-(2) का प्रतिस्थापन।-उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा-(2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“(2) किस्तवार कार्यान्वयन, स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज/नगरपालिका संस्थानों तथा सम्बन्धित ग्रामों/नगरपालिका क्षेत्रों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुविधा देने के लिए सम्यक रूप से प्रचारित किया जाएगा।”

5. अधिनियम की धारा-7 उप-धारा-(1) एवं (2) का प्रतिस्थापन एवं उप-धारा-2 के पश्चात् नयी उप-धारा-7(2क) को जोड़ा जाना।-उक्त अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा-(1) एवं (2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा अधिनियम की उप-धारा-2 के पश्चात् नयी उप-धारा-7(2क) जोड़ी जायेगी:-

“7 खानापुरी दलों का गठन तथा अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी- (1) किस्तवार कार्यान्वयनों के लिए उत्तरदायी अभिकरण एवं अमीनों के सहयोग से आधारभूत अधिकार अभिलेख को अद्यतन तथा तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों/नगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग-अलग खानापुरी दलों का गठन किया जाएगा।”

“(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के लिए खानापुरी दल निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी:-

- (i) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी।
- (ii) कानूनगो।

(iii) अमीन।

“ 7(2क) नगरपालिका क्षेत्रों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों को मिलाकर खानापुरी दल का गठन किया जाएगा। दल में सदस्यों की संख्या का निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।”

6. **अधिनियम की धारा-8 का प्रतिस्थापन।**—उक्त अधिनियम की धारा-8 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“8. **खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन**—किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप को, सम्बन्धित राजस्व ग्राम एवं नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड के सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर, इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रकाशित किया जाएगा।”

7. **अधिनियम की धारा-9 का प्रतिस्थापन।**— उक्त अधिनियम की धारा-9 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“ 9. खानापुरी अधिकार अभिलेख पर आपत्तियों को आमंत्रित किया जाना सम्बन्धित राजस्व ग्राम तथा नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत खानापुरी कार्यान्वयन के अन्त में दावों एवं आपत्तियों का आमंत्रण एवं संकलन किया जाएगा तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित रीति से निपटारा किया जाएगा।

परन्तु वैसे मामलों की, जिसमें दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय इस अधिनियम की धारा-7 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की गई हो, सुनवाई एवं निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।”

8. **अधिनियम की धारा-10 के वर्तमान प्रावधान को धारा-10 (1) के रूप में पुनः क्रमांकन किया जाना एवं इसके बाद नयी उप-धारा 10(2) को जोड़ा जाना।**—

“10—विश्रान्ति के दौरान कार्य—(1) अधिनियम की क्रमशः धारा-7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किया जाएगा।”

“ (2) बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा स्व-प्रेरणा से अपने आदेश द्वारा अधीनस्थ प्राधिकृत किये गये पदाधिकारियों के माध्यम से धारा 10(1) के अधीन किये गये विश्रान्ति कार्य के क्रम में पाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।”

9. **अधिनियम की धारा-11(1) का प्रतिस्थापन।**—उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“ (1) अधिनियम की धारा-10(1) एवं धारा-10(2) के अधीन की गई कार्रवाई के उपरान्त, किसी राजस्व ग्राम एवं नगरपालिका क्षेत्र के प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन विहित रीति से जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जायेगा।”

10. **अधिनियम की धारा-11(2) का प्रतिस्थापन।**—उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

“(2) प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख के संबंध में दावों एवं आपत्तियाँ उसके प्रकाशन के तीन माह के भीतर दायर किये जा सकेंगे तथा वैसे दावा एवं आपत्तियों का निपटारा विहित रीति से भूमि सुधार उप-समाहर्ता से अन्यून पंक्ति के एक या एक से अधिक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परन्तु सुनवाई करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों को यदि समाधान हो जाए कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है तो वह सुनवाई हेतु प्राप्त दावा आपत्ति को दायर करने में विलम्ब को क्षांत कर सकेंगे।”

11. **अधिनियम की धारा-11(3) का प्रतिस्थापन।**—उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

“(3) उप-धारा-11(2) के तहत दावा एवं आपत्तियों के निपटारा के उपरान्त किसी राजस्व ग्राम अथवा नगरपालिका क्षेत्र के अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन विहित रीति से जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जायेगा।”

12. **अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(4) का जोड़ा जाना।**— उक्त अधिनियम की धारा-11(3) के पश्चात् निम्नांकित नयी धारा-11 (4) को जोड़ा जायेगा।

“(4) ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की एक प्रति संबंधित अंचल कार्यालय को तथा नगरपालिका क्षेत्रों में अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की एक प्रति सम्बन्धित अंचल कार्यालय एवं सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालय को दिन प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन/नगर प्रशासन में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी।”

13. अधिनियम की धारा-12 के पश्चात् नयी धारा-12 "क" का जोड़ा जाना।— उक्त अधिनियम की धारा-12 के पश्चात् निम्नांकित नयी धारा-12 "क" जोड़ी जायेगी।

"12 "क" अपील:—

- (i) धारा-11(2) के तहत पारित आदेश की अपील की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एकाधिक अपर समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को अधिसूचित किया जायेगा।
- (ii) अपीलीय प्राधिकार किसी पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित, अपास्त करने का आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (iii) अपीलीय पदाधिकारी को यदि समाधान हो जाए कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है तो वह अपील हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।
- (iv) धारा-11(2) में पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपील का निष्पादन अपील दायर किये जाने की तिथि से यथासंभव 90 कार्य दिवस के अन्दर किया जायेगा।
- (V) उपरोक्त अपील अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय/प्राधिकार के किसी आदेश के द्वारा धारा-11(3) के तहत अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख में किये जाने वाले परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, की प्रक्रिया का निर्धारण इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली में किया जा सकेगा।"

14. अधिनियम की धारा-20 की उप-धारा-(2) का प्रतिस्थापन।— उक्त अधिनियम की धारा-20 की उप-धारा-(2) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं उप-धारा-(2क) को जोड़ा जायेगा—

"(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 से 115, बिहार काश्तकारी नियमावली 1885 के अधीन नियम 40 एवं 42, 45 से 52, 54 से 82 एवं 84 से 100, बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे अधिनियम 1920, बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे नियमावली 1921 को निरसित समझे जाएंगे।"

"(2क) उपरोक्त उप-धारा (2) में ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम/नियमावली एवं उनके क्रियान्वयन के लिये निर्गत निर्देशों के अधीन की गई सभी कार्रवाई विधिमन्य रहेंगी, मानो वे इस नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अधीन की गई है।"

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-08/2025-5094/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम संख्या 10, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2025]

Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2025

AN

ACT

To amend the Bihar Special Survey and Settlement (as amended) Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This Act may be called the Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) Except the proviso of section 11(2) the remaining shall come into force immediately from the date of its publication in the Official Gazette.

- (4) The proviso of section-11(2) shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the date on which the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 came into force.
2. **Addition of two new paragraph in the Preamble.**—A new paragraph -V(a) shall be added after Paragraph-V of the Preamble of the said Act and a new paragraph-VI (a) shall be added after Paragraph-VI.
- “V(A) WHEREAS, for the preparation and maintenance of the records of rights in the areas notified as municipalities, no other land survey and settlement was carried out except the survey done under the Bihar and Orissa Municipal Survey Act, 1920.
- “VI (A) WHEREAS, the Continuous Khatian (Register-1B), Khesra Register and Register-II (Jamabandi Register) of the revenue villages situated in the municipal areas, which were to be maintained up-to-date in the circle offices, could not be maintained as such and as a result the transfer, succession, mutation etc. taking place from time to time, are not reflected in them.”
3. **Addition of definition of new words after clause (xxx) of sub-section-2 of section-2.-**
- (xxxi) **Municipality.**— shall have the same meaning as ‘municipality’ means under the Bihar Municipality Act, 2007 (as amended from time to time).
- (xxxii) **Rover.**—means a modern device which measures land by connecting the coordinates of the ground with the signals received from the satellite as per the guidelines and standards prescribed by the Government.
- (xxxiii) **GNSS (Global Navigation Satellite System).**—means Global Navigation Satellite System used at national/ international level for accurate land measurement based on the specific coordinates of a particular place.
- (xxiv) **Continuously Operated Reference Station, CORS.**—means centres established by the Survey of India for the accuracy, uniformity and verification of data of any place based on the data received from satellite.
4. **Substitution of sub-section-(2) of section-6 of the Act.-Sub-section-(2) of section-6 of the said Act shall be substituted by the following:-**
- “(2) Kistwar operations shall be duly publicized at the local level to ensure and facilitate active participation by the Panchayati Raj/ municipal Institutions and people of the concerned villages/municipal areas. ”
5. **Substitution of sub-section-(1) and (2) of section-7 of the Act and insertion of new sub-section-7(2A) after sub-section-2.**—Sub-section-(1) and (2) of section-7 of the said Act shall be substituted by the following and new sub-section-7(2A) shall be inserted after sub-section-2 of the Act.-
- “7. **Constitution of Khanapuri parties and preparation of the draft record of rights.**—”(1) Separate khanapuri parties shall be constituted in concerned revenue villages (situated in rural areas) /municipal areas to update and prepare the basic record of rights in collaboration with the agency responsible for Kistwar operation and amin.”
- “(2) For revenue villages situated in rural areas, khanapuri parties shall be constituted by including the following:-
- (a) Assistant Settlement Officer.
- (b) Kanungo.
- (c) Amin.
- “7(2A) In municipal areas, khanapuri parties shall be constituted by including the officers/Staff of the Revenue and Land Reforms Department, Municipal establishments and other technically qualified personnel as per requirement. The number of members in the parties shall be determined as per the requirement.”

6. ***Substitution of Section-8 of the Act.***—Section-8 of the said Act shall be substituted by the following :-
"8. Publication of the draft khanapuri record of rights.—The draft khanapuri record of rights, including maps, prepared during kistwar and khanapuri operations, shall be duly published at conspicuous public places of each ward of the concerned revenue village and municipal areas, in accordance with the procedure laid down in the behalf."
7. ***Substitution of Section-9 of the Act.***—Section-9 of the said Act shall be substituted by the following:-
"9. Inviting objections to the khanapuri record of rights.—Claims and objection shall be invited and compiled at the end of the kahanpuri operations in the revenue village and municipal area concerned and shall be heard and disposed of in the prescribed manner by the officer authorized by the government.
 Provided cases in which the claims and objections have been decided under Section-7 of this Act, by the officer authorized by the government, shall not be heard and disposed of by the same officer."
8. ***Renumbering of the existing provision of Section 10 of the Act as Section 10(1) and addition of new sub-section 10 (2) there after .-***
"10.- Work during recess.-
 (1) after the disposal of objection and appeals in accordance with section 7 and 9 of the Act respectively, Jaanch, Safai, Muqabla, Radif, Tratib, Tarmim, etc. shall be carried out in recess, in the prescribed manner. "
 "(2) The Settlement Officer, suo-moto, may order for the rectification of the errors, found in the course of recess work, under Section-10(1), through the authorized subordinate officers."
9. ***Substitution of Section 11(1) of the Act.***—Sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall be substituted by the following:—
"(1) The draft final record of rights of a revenue village and municipal area shall be published finally under the hand and seal of the Settlement Officer of the District, in prescribed manner, after the conclusion of work under section 10(1) and 10(2) of the act."
10. ***Substitution of Section-11(2) of the Act.***—Sub-section-(2) of Section-11 of the said Act shall be substituted by the following:-
"(2) Claims and objections with regard to the draft final record of rights may be filed within three months of its publication and such claims and objections shall be heard and disposed of in the prescribed manner by one or more officers not below the rank of Land Reforms Deputy Collector.
 But if the officers authorised for hearing, are satisfied that there is sufficient reason for the delay, he may, condone the delay in filing the claims and objections, received for hearing."
11. ***Substitution of Section-11(3) of the Act.***—sub Section-(3) of section-11 of the said Act shall be substituted by the following:-
"(3) The final record of rights of a revenue village and municipal area, shall be published, under the hand and seal of the Settlement Officer of the District, in the prescribed manner, after settlement of claims and objections under sub-section 11(2) of the act."
12. ***Addition of sub-section-(4) of section-11 of the Act.***— The following new section-11(4) shall be added after section-11(3) of the said Act.
"(4) A copy of the finally published record of rights of rural areas, shall be sent to the concerning circle office, and a copy of the finally published record of rights of municipal areas, shall be sent to the concerning circle office and the concerning municipal office, for follow-up action in day to day revenue administration/ municipal administration."

13. **Addition of new section-12"A" after section-12 of the Act.**—The following new section-12"A" shall be added after section-12 of the said Act:-

"12"A" Appeal.

- (i) To hear the appeal against the order passed under Section-11(2), one or more officers, not below the rank of Additional Collector shall be notified by the State Government
- (ii) The appellate authority shall not pass any order modifying, changing or cancelling the order earlier given by any other officer, unless the related parties have been given a reasonable opportunity of being heard.
- (iii) If the appellate officer is satisfied that there is sufficient reason for the delay, he may condone the delay in filing the application for appeal.
- (iv) The appeal received against the order passed under Section-11(2), shall be disposed of, as far as possible, within 90 working days from the date of filing the appeal.
- (V) The procedure for making any changes, if necessary, in the record of rights finally published under section 11(3) by the aforesaid appeal or by any order of any other competent court/authority may be prescribed in the rules made under this Act."

14. **Substitution of sub-section-(2) of section-20 of the Act.**—Sub-section-(2) of section-20 of the said Act shall be substituted by the following and sub-section-(2A) shall be added:-

"(2) Sections-101 to 115 of the Bihar Tenancy Act, 1885, Rules - 40 and 42, 45 to 52, 54 to 82 and 84 to 100 of the Rules under the Bihar Tenancy Act, Bihar and Orissa Municipal Survey Act, 1920 and Bihar and Orissa Municipal Survey Rules, 1921 shall be deemed to be repealed."

"(2A) Notwithstanding the repeal under sub-section (2) above, all the actions taken under the repealed Acts/Rules and the directions issued for their implementation shall continue to be valid as if they were done under the relevant provisions of these Rules."

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1341-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>